न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 44/2018

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. अशोक कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति सोनी निवासी परेउ जिला बाड़मेर (मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर परेउ) 2. रवि कुमार सेठिया पुत्र पुखराज सेठिया जाति जैन निवासी तेलीयों का वास, बाड़मेर (मैसर्स रवि ट्रेडिंग कम्पनी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 23.07.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 की फर्म मैसर्स दिनेश किराणा स्टोर परेउ जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **08.10.2017** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अरिहंत** जो कि 500 एमएल के अलग–अलग पैंकिंग मे कार्टूनों मे रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **500 एमएल रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अरिहंत** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–842** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अरिहंत** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अरिहंत** का नमूना **अवमानक (Sub-statndard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड अरिहंत मे विटामीन की कमी बताते हुए यह परिवाद दिनांक 24.10.2018 को अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जबकि सेम्पल दिनांक 08.10.2017 को भरा गया था। अधिनियम की धारा 26 के तहत एक वर्ष की अवधि के अन्दर की प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिए था जो इस प्रकरण मे नहीं लिया गया है, इस कारण प्रस्तुत परिवाद मयाद बाहर हैं। यह भी निवेदन किया कि प्रकरण मे सैकण्ड सेम्पल जांच हेतु अप्रार्थीगण को मौका नहीं दिया गया जिसके अभाव मे यह परिवाद निरस्त योग्य हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन विटामीन का सोयाबीन तेल मे होना आवश्यक नहीं है ऐसी स्थिति मे यह परिवाद निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावें।

3. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 25.10.2017 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नही है। यद्यपि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया गया हैं कि प्रथम तो परिवाद मयाद बाहर हैं द्वितीय सोयाबीन तेल मे विटामीन की कमी को खाद्य सुरक्षा एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

मानक अधिनियम के अन्तर्गत अवमानक की श्रेणी मे नहीं माना गया हैं। किन्तु इस आशय की विरोध याचिका अप्रार्थी सं. 1 को नमूना जांच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर न तो उनके द्वारा स्वंय प्रस्तुत की गई एवं न ही इसकी सूचना ब्राण्ड के ट्रेडमार्क धारक द्वारा प्रस्तुत की गई है, ऐसे मे अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रकट अभिकथन के समर्थन मे भी कोई विधिक प्रावधान अथवा न्यायिक निर्णय नजीर प्रस्तुत नही की गई है, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध संयुक्त रूप से अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 15000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर